न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०3, हरदोई।

उपस्थित–योगेन्द्र चौहान (एच०जे०एस०)

CNR No. UPHR010048402025

फौजदारी निगरानी संख्या–210/2025

1). रामबेटी पत्नी तुलसी, निवासी ग्राम बिबियापुर, परगना व तहसील सण्डीला, थाना बघौली, जिला हरदोई।

..........................निगरानीकर्ता।

बनाम

1). उ०प्र० सरकार द्वारा शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरदोई।
2). लक्ष्मण प्रजापति आयु 45 वर्ष पुत्र सुक्खा,
3). अनन्तराम आयु 42 वर्ष पुत्र लालबहादुर,
4). शोभित आयु 22 वर्ष पुत्र अनन्तराम,
5). दीपू आयु 20 वर्ष पुत्र अनन्तराम,
6). ओमप्रकाश आयु 25 वर्ष पुत्र लक्ष्मण,
7). विनोद आयु 35 वर्ष पुत्र रामलाल,
8). आशीष आयु 30 वर्ष पुत्र परमेश्वर दीन,

सर्व निवासीगण ग्राम बिबियापुर, परगना व तहसील सण्डीला,
थाना बघौली, जिला हरदोई।

..........................विपक्षीगण।

–निर्णय–

1). प्रश्नगत दाण्डिक निगरानी रामबेटी द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–803/2024 रामबेटी बनाम लक्ष्मण प्रजापति आदि के मामले में विचारण न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 2, हरदोई द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.07.2025 के विरूद्ध संस्थित की गयी है।

2). संक्षेप में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा घटना दिनांक 14.06.2025 समय करीब 10 बजे दिन की घटना के बावत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक प्रार्थना पत्र 173(4) बी०एन०एस०एस० दिया था जिसमे विपक्षी सं०2 ता 8 द्वारा निगरानीकर्ता की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तथा विरोध करने पर उक्त विपक्षीगण द्वारा मारा पीटा गया तथा अनन्तराम द्वारा बलपूर्वक सोने की जजीर छीन ली गयी। उक्त घटना में थाने से रिपोर्ट तलब की गयी तथा रिपोर्ट के अनुसार घटना होना पाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु को आधार मानकर प्रार्थना पत्र 173 (4) बी०एन०

Digitally signed by YOGENDRA CHAUHAN
Date: 2026.04.10 16:36:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एस०एस० निरस्त कर दिया कि उक्त प्रकरण सिविल प्रकृति का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु पर विचार नहीं किया गया कि सिविल का सहारा लेकर आपराधिक कृत्य हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 07.07.2025 निरस्त करके महान भूल की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2025 निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किये बगैर उक्त आदेश को पारित किया है जो विधि विरूद्ध है तथा निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्य एवं उसके समर्थन मे दिये गये साक्ष्य का अवलोकन न करके उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त करके महान भूल की है तथा आदेश दिनांक 07.07.2025 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यवाही की गयी है इस बिन्दु पर विचार नही किया गया है और प्रार्थना पत्र को निरस्त करके महान मूल की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2025 विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साध्य एवं अपराधों की प्रकृति पर विचार न करके उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त करके महान भूल की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 07.07.2025 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि निगरानीकर्ती की निगरानी स्वीकार कर आदेश दिनांक 07.07.2025 निरस्त कर उक्त प्रकरण मे विवेचना कराये जाने की कृपा करें।

3). प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विपक्षीगण की ओर से आपत्ति 9ब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.07.2025 संबंधित वाद संख्या 1842/2025 धारा 173 (4) बी०एन०एस०एस० रामबेटी बनाम लक्षमण प्रजापति आदि विधि एवं तथ्यों के अनुरूप है जिस कारण अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 07.07.2025 में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नही है क्योंकि हम उत्तरदागण द्वारा कभी भी रिवीजनकत्री के साथ कभी भी मारपीट नही की गयी और न ही सोने की चैन को बलपवूर्वक छीना गया है। बल्कि रिवीजनकर्ती द्वारा झूठे व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो अवर न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप खारिज किया गया है। उक्त प्रकरण में थाना से आख्या तलब की गयी जिससे स्पष्ट होता है कि उभयपक्षों के मध्य चुनावी रंजिश व जमीनी विवाद को लेकर मतभेद है जिसके संबंध मे सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन है। उत्तरदाता संख्या 8 ग्राम प्रधान है और उससे निगरानीकर्ती व उसके परिवार से चुनावी रंजिश चल रही है। इस कारण प्रधान के साथ रहने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायलय में मुकदमा दबाव बनाने हेतु दायर किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। रिवीजनकर्ती गांव की दबंग किस्म की महिला है और उसने उत्तरदाता संख्या–2 लक्ष्मण पुत्र सुक्खा के बैनामे वाले प्लाट जो उत्तरदाता सं०2 द्वारा जगदीश पुत्र भगवान बक्स सिंह से दिनांक 08.07.1996 को खरीदा था जिस पर रिवीजनकर्ती तथा उसके परिवार के लोगो द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया।

जिसके संबंध मे उत्तरदाता सं०2 द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय हरदोई को दिया गया था जिसका निस्तारण एस०डी०एम० सण्डीला द्वारा उभयपक्षों को बुलाकर किया गया निस्तारण के समय निगरानीकर्ती कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही कर सकी इसी के कारण रिवीजनकर्ती बिरोध मानती है। रिवीजनकर्ती द्वारा गांव समाज की भूमि जो खाद के गड्ढे हेतु सुरक्षित की गयी थी उस पर अवैध कब्जा कर लिया जिस कारण सरकारी सम्पत्ति को काफी क्षति हो रही थी जिसके सम्बन्ध मे ग्राम प्रधान आशीष द्वारा एस०डी०एम० सण्डीला को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2025 को देकर मेड़बन्दी का आदेश पारित करवाकर हल्का लेखपाल के माध्यम से मेड़ बंधवा दी गयी। जिस कारण भी रिवीजनकत्री, उत्तरदातागण से नाराज हो गयी और उक्त मुकदमा न्यायालय में दायर कर दिया जो अवर न्यायालय द्वारा विधि अनुकूल से खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है इस कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सिविल वाद की आड़ मे फौजदारी विधि का प्रयोग किसी पक्षकार को प्रताड़ित करने या किसी के ऊपर दबाव बनाने या व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिये नही किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण ऐसा ही प्रतीत होता है। इस कारण निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। निगरानी बलहीन व निराधार होने के कारण भी खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगणों/ उत्तरदातागण की आपत्ति स्वीकार कर निगरानी खारिज कराते हुये अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2025 को यथावत रखने की कृपा करें। अतः प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4). निगरानीकत्री द्वारा अपनी निगरानी के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य में प्रकीर्ण वाद संख्या–1482/2025 रामबेटी बनाम लक्ष्मण प्रजापति आदि के मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.07.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं पहचान पत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी हैं।

5). निगरानीकत्री एवं उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रश्नगत आदेश सहित विचारण न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया। प्रस्तुत निगरानी पर विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुए निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6). निगरानीकत्री के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी तर्कपूर्ण बहस में कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों व तथ्यो को नजरअंदाज करते हुये विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का सम्यक अवलोकन किये बिना ही उपरोक्त आदेश पारित किया गया है जो कि किसी भी दशा में स्थिर रहने योग्य नही है। उपरोक्त आधारों पर विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 07.07.2025 निरस्त होने योग्य है तथा निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

7). उत्तरदातागण के द्वारा अपने मौखिक बहस में यह कथन किया गया है कि विद्वान विचारण

न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय किसी विधि का उल्लंघन नही किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया, तत्पश्चात विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय किसी भी विवेकाधिकार का कोई उल्लंघन नही किया गया है। विचारण न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि या तात्विक अनियमितता नही है। उपर्युक्त आधारों पर निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त होने योग्य है।

8). उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। विद्वान विचारणीय न्यायायल द्वारा प्रकीर्ण वाद सं० 1482/2025 रामबेटी बनाम लक्ष्मण प्रजापति के मामले में विपक्षी सं०2 अनन्तराम द्वारा निगरानीकत्री की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने और उक्त प्रयास का विरोध करने के बावत दिनांक 14.06.2025 को समय 10.00 बजे सभी विपक्षीगण द्वारा निगरानीकत्री की उक्त भूमि पर नीव खोदने और निगरानीकत्री द्वारा नीव खोदने का विरोध करने पर विपक्षीगण द्वारा लात–घूंसो से मारने पीटने और विपक्षी सं०2 द्वारा निगरानीकत्री के गले में पड़ी सोने की चैन तोड़ लेने तथा मारपीट की आवाज पर निगरानीकत्री की पुत्री प्रियांशी द्वारा बचाव करने पर उसे भी मारने पीटना बताया है। निगरानीकत्री ने विपक्षीगण द्वारा घर में घुसकर करने तथा जान से मारने की धमकी देने का कथन गया है। थाने की संलग्न आख्यानुसार रामबेटी का विवाद जमीन की कब्जेदारी को लेकर है। ग्राम प्रधान द्वारा लेखपाल के माध्यम से पैमाइश करायी गयी। दोनो पक्षों द्वारा अपनी कब्जेदारी को लेकर वाद माननीय न्यायालय में चल रहा है।

9). विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि निगरानीकत्री द्वारा मूल पत्रावली में एक प्लाट स्थित ग्राम बिबियापुर, मजरा महरी, परगना बालामऊ, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई राम कुमार से श्रीमती रामबेटी द्वारा क्रय किये जाने के बावत विक्रय पत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है विक्रय पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विक्रय पत्र में किसी प्रकर के खाता संख्या/खसरा संख्या, खतौनी संख्या/प्लाट संख्या अथवा किस खाता संख्या/ खसरा संख्या का अंश क्रय/विक्रय किया गयाा है, आदि का अंकन होना नही पाया जाता है। इसके साथ ही साथ न्यायालय में प्रस्तुत प्रपत्रों की छायाप्रति साक्ष्य में ग्राह्य नही है। अतएव निगरानीकर्ता के द्वारा ऐसा कोई कथन अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे प्रश्नगत विवादित भूमि के मालिकाना स्वामी द्वारा निगरानीकर्ता को कोई भूमि विक्रय विलेख किया जाना साबित हो सके। **उभयपक्षों के मध्य विवाद सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है।**

10). किसी घटना में अपराध के लिए आवश्यक तत्व मौजूद है या नही, इसका निर्धारण भी करना होता है। न्यायालय को यह भी देखना होगा कि क्या किसी विवाद को जो मूलतः दीवानी प्रकृति का है, आपराधिक जामा पहनाया जा रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में यह अभिनिर्धारित नही करना है कि मामले में विवाद आपराधिक है या सिविल प्रकृति का है। प्रस्तुत प्रकरण में इस स्तर

पर केवल यह देखना है कि विचारण न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि है या नही। प्रस्तुत प्रकरण में उल्लेखनीय है कि निगरानीकत्री के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर कब्जे को लेकर प्रधान आशीष कुमार द्वारा पुलिस के माध्यम से समझौता हो चुका है। थाने की आख्या से यह भी पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रश्नगत विवादित भूखण्ड पर पक्षकारों द्वारा कब्जेदारी का विवाद है और उक्त विवाद के बावत दीवानी न्यायालय में वाद भी लम्बित होने का तथ्य प्रकाश में आया है।

11). मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156(3) दं०प्र०सं० का प्रार्थना–पत्र प्राप्त या योजित होने पर उसके समक्ष उस प्रार्थना–पत्र पर तीन विकल्प उपलब्ध होते हैं–

1. प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश पारित कर सकता है, या
2. प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 156(3) दं०प्र०सं० को निरस्त कर सकता है, या
3. प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर विधि के अनुसार अग्रिम कार्यवाही कर सकता है।

12). उपरोक्त प्रकरण में विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० प्राप्त होने पर उस पर अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया है।

13). विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 07.07.2025 में यह अभिलिखित किया गया है कि प्रकरण में प्रार्थना पत्र के माध्यम से दीवानी मामले को आपराधिक मामले का रंग दिया गया है। प्रकरण में विचारणीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी अपना मत व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाना परिलक्षित नही हो रहा है।

14). **अमित कपूर बनाम रमेशचन्द्र (2012) 9 एस०सी०सी० पेज 460** के मामले में **माननीय उच्चतम न्यायालय** ने स्पष्ट किया है कि तथ्य के बिन्दु पर निगरानी न्यायालय, विचारण न्यायालय के आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि तथ्य के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष (perverse) अनुचित न हो। विचारण न्यायालय ने आवेदक/अभियुक्तगण के प्रार्थना पत्र पर सम्पूर्ण विचार करने के उपरान्त गुण दोष के आधार पर आदेश पारित किया है जो विधिपूर्ण है। इस स्तर पर केवल यह देखा जाना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय कोई विधिक त्रुटि या तात्विक अनियमितता की हैं।

15). उपरोक्त प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक परिशीलनोपरान्त अपने आदेश में तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। मेरी राय में प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि अथवा तात्विक अनियमितता नही प्रतीत होती है। अतः प्रश्नगत आदेश दिनांकित 07.07.2025 में हस्तक्षेप किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। तदनुसार निगरानी निरस्त होने योग्य है।

–आदेश–

i). निगरानीकर्ता रामबेटी द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–210/2025 रामबेटी

बनाम सरकार आदि निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांकित 07.07.2025 की पुष्टि की जाती है।

ii). विचारण न्यायालय की पत्रावली आदेश की एक प्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 10.04.2026 **(योगेन्द्र चौहान)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, हरदोई
J.O. Code–UP1608

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 10.04.2026 **(योगेन्द्र चौहान)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, हरदोई
J.O. Code–UP1608